



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-28.05.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना मानपुर पुलिस द्वारा गोवध जैसे अपराध में लिप्त कुल 03 अपराधियों 1.गैंगलीडर संदीप यादव पुत्र पंचम 2.रामदयाल पुत्र बाबूराम 3.प्रदीप कुमार पुत्र रामदयाल निवासीगण ग्राम शुक्लापुरवा मजरा कटिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध गोवध अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग थाना मानपुर पर पूर्व से ही पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना मानपुर पर मु0अ0सं0 149/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। तीनों अपराधियों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 149/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मानपुर सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

- 1.गैंगलीडर संदीप यादव पुत्र पंचम निवासी ग्राम शुक्लापुरवा मजरा कटिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर।
- 2.रामदयाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम शुक्लापुरवा मजरा कटिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर।
- 3.प्रदीप कुमार पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम शुक्लापुरवा मजरा कटिया थाना मानपुर जनपद सीतापुर।

अभियुक्तगण संदीप,रामदयाल व बाबूराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 118/21 धारा 429/504/506 भादवि व 3/8 गोवध निवारण अधिनियम।